न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 159 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022 / 490

वादी	बनाम	प्रतिवादी
प्रभूराम पुत्र खरताराम जाति सांसी निवासी बलाऊ जाटी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.खरताराम पुत्र गेनाराम 2.खेराज पुत्र हेमाराम 3.चौथी पुत्री सोनाराम 4.डूंगर पुत्र गेनाराम 5.ढली पुत्री पनाराम 6.भीखाराम पुत्र राणीया 7.मांगी पुत्री पनाराम 8.रतनाराम पुत्र पनाराम 9.रेवतराम पुत्र हेमाराम के वारिसान 9/1.कालूराम पुत्र रेवतराम 9/2.मोहनी पुत्री रेवतराम 9/3.पदू पुत्री रेवतराम 9/4.बाया पुत्री रेवतराम,पदू व बाया नाबालिग जरिए कुदरती वलीया भाई कालूराम पुत्र रेवतराम 10.लूम्बा पुत्र गेनाराम के वारिसान 10/1.रूपो पत्नी लूम्बा 10/2.काली पुत्री लूम्बा 10/3.भोमी पुत्री लूम्बा 10/4.गुडी पुत्री लूम्बा नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता रूपो पत्नी लूम्बा 11.लादू पुत्री पनाराम 12.सुगना पुत्र गेनाराम 13.कमला पुत्री पनाराम जाति मेगवाल निवासी बलाऊ जाटी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 14.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री चेलाराम कुमावत व श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता वादी

2.श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक– 28.01.2025

संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा बलाऊ जाटी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 55 क्षेत्रफल 5.7546 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 22.8.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपति प्रार्थना–पत्र पेश की गई,जो बाद सुनवाई आपति प्रार्थना–पत्र खारिज की गई तथा वादी का वाद विभाजन प्रस्ताव मुताबिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बलाऊ जाटी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 55 क्षेत्रफल 5.7546 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बचिन्ह
1	प्रभुराम पुत्र खरताराम जाति सांसी सा. देह खातेदार	बलाऊ जाटी	55	0.4698	बा.सो.	0.34	हरा
2	भीखाराम पुत्र राणाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार रहन–हिस्सा पूर्ण एस.बी.आई. शाखा मण्डली के पक्ष में	बलाऊ जाटी	55	0.6611	बा.सो.	0.48	नीला

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

3	1.कमा पुत्री पन्नाराम हि. 59 / 2709 2.कालुराम पुत्र रेवतराम हि. 2246 / 46053 3.काली देवी पुत्री लुम्बा हि. 3845 / 368424 4.खरता पुत्र गेना हि. 3845 / 61404 5.खेराजराम पुत्र हेमाराम हि. 17968 / 92106 6.गुडडी पुत्री लुम्बा हि. 3845 / 368424 7.नाबालिग गुडडी पुत्री रेवतराम संरक्षण कालुराम हि. 2246 / 46053 8.ढली पुत्री पन्नाराम हि. 59 / 2709 9.प्रियंका पुत्री रेवतराम हि. 2246 / 46053 10.भोमी पुत्री लुम्बा हि. 3845 / 368424 11.मनीषा पुत्री लुम्बा हि. 3845 / 368424 12.मूलाराम पुत्र डूंगरराम हि. 3845 / 122808 13.मांगी पुत्री पन्नाराम हि. 59 / 2709 14.मोहनी पुत्री रेवतराम हि. 2246 / 46053 15.मोहनी पत्नी स्व. डूंगरराम हि. 3845 / 122808 16.रूगाराम दत्तक पुत्र लूम्बा हि. 3845 / 368424 17.रतनाराम पुत्र पन्नाराम हि. 59 / 2709 18.रूपी पत्नी स्व. लूम्बा हि. 3845 / 368424 19.चौथी पुत्री सोना हि. 3845 / 15351 20.लादु पुत्री पन्नाराम हि. 59 / 2709 21.सुगना पुत्र गेना हि. 3845 / 61404	बलाऊ जाटी	55	4.5317	बा.सो.	3.56	लाल
4	कमा पुत्र पन्नाराम खातेदार संख्या 01 से खातेदार संख्या 21 तक जमाबंदी अनुसार हिस्सा प्रभूराम व भीखाराम सहित शामलाती खातेदार (सार्वजनिक रास्ते हेतु)	बलाऊ जाटी	55	0.0920	बा.सो.	0.080	पीला

तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28/01/25 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

28/01/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 159 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022 / 490

वादी बनाम प्रतिवादी

प्रभूराम पुत्र खरताराम

जाति सांसी

निवासी बलाऊ जाटी

तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1.खरताराम पुत्र गेनाराम

2.खेराज पुत्र हेमाराम

3.चौथी पुत्री सोनाराम

4.डूंगर पुत्र गेनाराम

5.ढली पुत्री पनाराम

6.भीखाराम पुत्र राणीया

7.मांगी पुत्री पनाराम

8.रतनाराम पुत्र पनाराम

9.रेवतराम पुत्र हेमाराम के वारिसान

9 / 1.कालूराम पुत्र रेवतराम

9 / 2.मोहनी पुत्री रेवतराम

9 / 3.पदू पुत्री रेवतराम

9 / 4.बाया पुत्री रेवतराम,पदू व बाया नाबालिग जरिए कुदरती वलीया भाई कालूराम पुत्र रेवतराम

10.लूम्बा पुत्र गेनाराम के वारिसान

10 / 1.रूपो पत्नी लूम्बा

10 / 2.काली पुत्री लूम्बा

10 / 3.भोमी पुत्री लूम्बा

10 / 4.गुडी पुत्री लूम्बा नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता रूपो पत्नी लूम्बा

11.लादू पुत्री पनाराम

12.सुगना पुत्र गेनाराम

13.कमला पुत्री पनाराम जाति मेगवाल निवासी बलाऊ जाटी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

14.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा

सहायक कलक्टर

(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 159/2022

निर्णय दिनांक :— 28.1.2025

वादी की ओर से श्री चेलाराम कुमावत व दिनेश कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमराज पंवार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.1.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.1.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.1.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया ————	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ————
जोड़	———	जोड़	———

28/01/25

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा